

बिहार सरकार,
ऊर्जा विभाग।
अधिसूचना

अधिसूचना सं.-प्र.1/ग्रा.वि.-03/05(पाठ)- 26

पटना, दिनांक - 17/11/05

अधिसूचना संख्या 25 दिनांक 17/11/2005 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :-

In exercise of the powers conferred by 8th proviso to section 14 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) the Government of Bihar do hereby notify such areas as rural areas for the purpose of section 14 of the Electricity Act, 2003 which are declared as Gram Panchayat areas under 11 of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993

This notification shall come in to force in the whole State of Bihar at once.

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

हो/-

(डॉ० ए० के० विश्वास)
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप सं० -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के आगामी विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियो विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

हो/-

(डॉ० ए० के० विश्वास)
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप सं० - २५६५

पटना, दिनांक - 17-11-05

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. सरकार के सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली - 110003.
- 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
सेवा भवन, आर० के० पूरम, नई दिल्ली - 110068.
- 3. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग,
कोर-7, स्कोप कम्पलेक्स, लोटी रोड, नई दिल्ली।

(डॉ० ए० के० विश्वास)
आयुक्त एवं सचिव।